उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-28/2020/ 288/92-2-20-54आरई/2006
लखनऊ :: दिनांक:: 22 जनवरी 2020

शुद्धि पत्र

जनपद फतेहपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति/गबन के लिये श्री दीनानाथ सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फतेहपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1530/62-3-2008-54आरई/06 दिनांक 14-05-2008 से निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध श्री दीनानाथ सिंह के प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2008 को निस्तारित किये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-127/2019/2361/92-2-19-54आरई/2006 दिनांक 17.10.2019 के पृष्ठ-5 के बिन्दु-1 के खण्डन/विवेचना में "किसी कार्य के स्थलीय निरीक्षण/जांच के समय कार्य कराये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का उपस्थित रहने की अनिवार्यता नियमानुसार नहीं होती है," के स्थान पर त्रुटिवश "किसी कार्य के स्थलीय निरीक्षण/जांच के समय कार्य कराये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का उपस्थित रहने की अनिवार्यता नियमानुसार होती है" टंकित हो गया है। अत: उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.10.2019 के पृष्ठ-5 के बिन्दु-1 के खण्डन/विवेचना में "किसी कार्य के स्थलीय निरीक्षण/जांच के समय कार्य कराये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का उपस्थित रहने की अनिवार्यता नियमानुसार होती है" के स्थान पर "किसी कार्य के स्थलीय निरीक्षण/जांच के समय कार्य कराये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का उपस्थित रहने की अनिवार्यता नियमानुसार नही होती है" पढा जाये।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0-127/2019/2361/92-2-19-54आरई/2006 दिनांक 17.10.2019 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष बिन्दु यथावत रहेगें।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-28/2020/288(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री दीनानाथ सिंह तत्का0 सहा0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-फतेहपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in